<u>कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक बून्दी</u>

<u>कार्यालय आदेश</u>

राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/ साप्र/ बी–1/कनिष्ठसहायक/2013/बैकलॉग/2021 दिनांक 13.12.2021 की पालना में कनिष्ठ सहायक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 में एवं लिपिक ग्रेड द्वितिय भर्ती परीक्षा 2013 के बैकलॉग मे से कार्यग्रहण नही करने वाले अभ्यर्थियो के विरूद्व चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति/पदस्थापन हेतु बून्दी जिला आवंटन किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों का आयोजित परामर्श शिविर (काउन्सलिंग) दिनांक 18.12.2021 को प्रस्तुत सहमति/विकल्प पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार **पे–मेट्रिक्स लेवल एल–5** में **कनिष्ठ सहायक** के पद पर **2 वर्ष** की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी(प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियत मानदेय 14600/– प्रति माह(फिक्स रेमूनरेशन) पर नियुक्ति/पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया जाता है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्सड रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भते(बोनस,महॅगाई भत्ता,मकान किराया, शहरी क्षतिपूर्ती भत्ता, महॅगाई वेतन(डीपी) विशेष वेतन आदि) देय नहीं होगा और **ना ही** इनके फिक्स्ड रेमुनरेशन में राज्य बीमा,समान्य प्रावधायी निधि आदि कटौती की जायेगी। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्वि के लिए गणना योग्य नही माना जावेगा। परीवीक्षाधीन अवधि मे इन्हें कलेण्डर वर्ष मे केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश ही देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा। वित विभाग के आदेश क्रमांक–एफ–12(9) एफ डी(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी। इनके द्वारा प्रोबेशन अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त संस्थाप्रधान द्वारा की गई अभिशंषा के आधार पर इन्हें पद का प्रारम्भिक वेतन नियमानुसार स्थाईकरण उपरान्त नियमित किया जायेगा।

इन्हें **दिनांक** 03.01.2022 तक **पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण** करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने की दशा में इनका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा।

<u>सम्बंधित संस्थाप्रधान सम्बंधित अभ्यार्थियों को पदस्थापन पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही</u> अपने स्तर पर <u>आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगेः–</u>

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबधित अभ्यर्थी से जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये। **<u>इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति/पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये।</u>** पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिको हेतु यह आवश्यक नही होगा।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यार्थी के नाम/उपनाम एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–7(1) डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यार्थी से दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने संबंधि आशय का शपथ पत्र 50रू/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जायें।
3. संबधित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये जावे।
4. संस्थाप्रधान कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक,आयु,जाति आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों को मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेगें। कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर स्थानीय कार्यालय को सूचित करते हुये अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवायेंगे।
5. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा विवाह तिथि विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व की है, तो तत्सम्बंधी आशय का 50/–रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्राप्त करें।
6. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लियें जाने का स्व–घोषणा सम्बंधी शपथ पत्र प्राप्त करें।

7. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है अतःजिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाए जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बंधित अभ्यर्थी से इनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्रों क संबंध में 50/- रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लेवे कि यदि उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व अन्य दस्तावेज/प्रमाण पत्र वैद्य व मान्य नही पाए गए तो उनका चयन/नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने सम्बंधित अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
8. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांकः प.7(3)कार्मिक/क. 2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नही करने सम्बंधी वचनबधता (UNDERTALING) शपथ पत्र प्राप्त करें
9. सम्बंधित संस्थाप्रधान कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदनपत्र पर चस्पा छाया चित्र(फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चिता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त करें जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र(फोटो) चस्पा है।
10. सम्बंधित संस्थाप्रधान अभ्यर्थियों की सेवा पुस्तिका तैयार कराते समय 10वीं परीक्षा की अंकतालिका के आधार पर अभ्यर्थी नाम,पिता का नाम एवं जन्म तिथि आदि अंकित करें।
11. संस्थाप्रधान ध्यान देवें कि यदि अभ्यार्थी राजकीय सेवा में पूर्व से ही पदस्थापित है तो सक्षम अधिकारी से कार्यमुक्त/त्याग पत्र स्वीकृत होने के पश्चात् ही विद्यालय में कार्यग्रहण करावें।

संलग्नः– आदेश संख्या 01(पृष्ठ संख्या 1)

18.12.21

(सतीश कुमार जोशी)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक बून्दी

कमांकः–जिशिअ/मुमा/बू/संस्था–1/कनिष्ठसहायक/2021/451 दिनाकः– 18.12.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. श्रीमान् शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर।
02. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव प्रशासनिक सुधार(अनुभाग) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
03. श्रीमान् सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर।
04. श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
05. श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा संभाग कोटा।
06. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बून्दी।
07. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ....।
08. संबंधित संस्थाप्रधान ....।
09. संबंधित अभ्यार्थी...।
10. माध्यमिक शिक्षा विभागीय वेबसाईट अपलोडींग वास्ते।
11. नोटिस बोर्ड स्थानीय कार्यालय ।
12. रक्षित पत्रावली।

18.12.21

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक बून्दी।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक बून्दी

कनिष्ठ सहायक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 एवं लिपिक ग्रेड द्वितिय भर्ती परीक्षा 2013 के बैकलॉग के पदो पर कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश

क्रमांकः–जिशिअ / मुमा / बू / संस्था–1 / कनिष्ठसहायक / 2021 / 451 दिनांकः– 18.12.2021

S.no	PHOTO	Rank	Roll No	CANDIDATE NAME	FATHER NAME	GENDER	CATEGORY	H_CAT	SEL_CAT	DOB	APPOINT SCHOOL NAME	BLOCK
1		20425	1495879	JAVED MOHAMMAD	ABDUL WAHID	MALE	SC		SC_WL	10-08-97	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAJAD (222299), TALERA (08230426905)(BUNDI)	TALERA
2		25166	1548361	KULDEEP MEENA	PARASH RAM MEENA	MALE	ST		ST_WL	26-07-98	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MOHANPURA (221610), K.PATAN (08230219608	K.PATAN
3		25193	2432911	VIJAY KUMAR MEENA	LADU LAL MEENA	MALE	ST		ST_WL	11-01-97	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHANPURA TEH-NAINWAN DIST-BUNDI (222245), NAINWA (08230312705)(HINDOLI)	NAINWA
4		25217	2224677	SHANKARDAYAL MEENA	MARIGRAM MEENA	MALE	ST		ST_WL	01-07-94	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DEI (222251), NAINWA (08230315540)(HINDOLI)	NAINWA
5		25266	2435542	SUNIL KUMAR MEENA	RAMPRASAD MEENA	MALE	ST		ST_WL	03-12-97	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KOTKHEDA (222330), BUNDI (08230511806)(BUNDI)	BUNDI

18.12.21

(दिलीश कुमार जोशी)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक बून्दी